न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, सी

फूलचन्द ..... बनाम ..... प्रभुदयाल

मन मुकदमा ..... T.E ..... मु. नं० ..... 34 ..... वर्ष 201

दिनांक	आज्ञा पत्र	
4/5	पत्रावली पेश। मर्ये. उपपत्रों पर विचार। बहस आज उपपक्ष सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि में प्रार्थी के हित निहित है तथा दौरान वाद विवादित भूमि के मौके व रिकार्ड की स्थिति में परिवर्तन करने पर प्रार्थी के हित प्रभावित हो सकते हैं तथा वाद बहुप्रकृति बनने की संभावना है। वाद बाहुल्यता को बढ़ने से रोकने के लिए अप्रार्थीगण को दौरान वाद विवादित भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने बाबत पाबंद किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी को स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को आदेश दिया जाता है कि वे विवादित भूमि खसरा नं. 2319/1975, 2322/1394, 2324/1395 वाकेगांव सीकर तहसील व जिला सीकर की भूमि का दौरान वाद मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें। पत्रावली नियमानुसार [illegible] हेतु [illegible] दफ्तर हो। [illegible] से [illegible]

उपखण्ड अधिकारी, सीकर